

**अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के उम्मीदवारों हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न**

**प्रश्न 1: अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान उपलब्ध हैं?**

**उत्तर :** रिक्तियों के संदर्भ में अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा यथानिर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। क्रीमी लेयर में आने वाले अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में आरक्षण/शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में 'अ.पि.व.' का अर्थ 'गैर-क्रीमी लेयर अ.पि.व.' है।

**प्रश्न 2: क्या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार किसी परीक्षा/चयन के अंतर्गत सभी पदों/सेवाओं के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?**

**उत्तर :** जी हां, बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी कर रहे हों। हालांकि रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के संदर्भ में आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

**प्रश्न 3: क्या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु तब भी विचार किया जा सकता है यदि उनके पास अ.पि.व. प्रमाण पत्र उपलब्ध न हों?**

**उत्तर :** जी, नहीं। अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार को अ.पि.व. की रिक्ति पर नियुक्त करने पर तभी विचार किया जाता है यदि उसके पास मान्य जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। हालांकि ऐसे अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अवश्य ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे सामान्य श्रेणी की पात्रता शर्तें पूरी कर रहे हों।

**प्रश्न 4: अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कितनी छूट प्रदान की जा सकती है?**

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा(जिन भी मामलों में लागू हो) में अधिकतम 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार, जो पीडब्ल्यूबीडी या पूर्व सैन्यकर्मी में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं, वे दोनों श्रेणियों के तहत उपलब्ध संचयी आयु छूट प्रदान किए जाने के पात्र हैं।

**प्रश्न 5: अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत कितने अवसर उपलब्ध हैं?**

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को नौ अवसर उपलब्ध होते हैं, बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों।

**प्रश्न 6: क्या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क देना होता है?**

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होता है।

**प्रश्न 7: अपनी मेरिट पर चयनित अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षित रिक्ति के प्रति समायोजित किया जाता है या अनारक्षित रिक्ति के प्रति?**

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन अपनी श्रेणी के अंतर्गत लागू छूटों या शिथिलताओं की सुविधा का लाभ लिए बिना हुआ हो, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के प्रति अनुशंसित किया जाता है। परंतु, यदि चयन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में चयन के मानकों के मामले में कोई भी छूट या शिथिलता प्रदान की गई हो, तो ऐसे उम्मीदवारों को केवल अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षित रिक्ति के प्रति ही नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

**प्रश्न 8: अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में चयन के मानकों में कौन-कौन सी छूटें तथा शिथिलताएं लागू हैं?**

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवार, अनारक्षित श्रेणी के लिए अपनाए गए चयन मानकों की तुलना में चयन के शिथिल मानकों हेतु पात्र हैं।

**प्रश्न 9: क्या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति है?**

**उत्तर :** यदि किसी उम्मीदवार ने आयोग की किसी परीक्षा के आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को अनारक्षित/सामान्य श्रेणी बताया है, परंतु बाद में वह आयोग को यह अनुरोध करता है कि वह अपनी श्रेणी को आरक्षित श्रेणियों में किसी श्रेणी, अर्थात् अ.पि.व. में बदलना चाहता है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग विचार नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी उम्मीदवार ने किसी आरक्षित श्रेणी (अ.पि.व.) का चयन किया है तो दूसरी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है। हालांकि इस सिद्धांत को सामान्य तौर पर अपनाया जाएगा, परंतु कुछेक ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें किसी समुदाय-विशेष को किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना के जारी होने तथा संबंधित आवेदक के आवेदन जमा करने की तारीख के बीच 3 माह से अधिक का अंतर ना हो। ऐसे मामलों में, अपनी श्रेणी को अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने के संबंध में किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

**प्रश्न 10: क्या अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में इस बात की अनुमति है कि वे अपनी श्रेणी को बदल कर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी कर सकें?**

**उत्तर :** जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर, अ.पि.व. श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों को यह अनुमति नहीं होगी कि वे अपनी श्रेणी में परिवर्तन कर उसे अ.पि.व. से अनारक्षित/सामान्य बना सकें या अनारक्षित/सामान्य श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के लिए दावा कर सकें।

**प्रश्न 11:** यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए किसी उम्मीदवार से कोई गलती हो जाए तो इसके सुधार की दिशा में अगला कदम क्या होगा?

**उत्तर :** ऐसे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र का लिंक सक्रिय हो तो वह नया आवेदन पत्र भरे।

**प्रश्न 12:** अ.पि.व. आरक्षण का दावा करने के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों द्वारा किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए?

**उत्तर :** अ.पि.व. श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण/शिथिलता का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे सरकार द्वारा जारी परीक्षा नियमों/ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परीक्षा नोटिस के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसा आरक्षण/शिथिलता प्राप्त करने के पात्र हैं।

**प्रश्न 13:** अ.पि.व. प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

**उत्तर :** निर्धारित प्रारूप आयोग की वेबसाइट ([www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in)) पर "फॉर्म एवं डाउनलोड" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। उम्मीदवार अपेक्षित प्रारूप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

**प्रश्न 14:** अ.पि.व. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

**उत्तर :** अ.पि.व. प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ख) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ग) राजस्व अधिकारी, जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(घ) उस इलाके का सब-डिवीजनल आफिसर(उप खंड अधिकारी) जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता हो।

(ड.) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

**किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता।**

**प्रश्न 15: किन वित्त वर्षों की आय के आधार पर अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा?**

**उत्तर :** आय/परिसंपत्ति की शर्त के अंतर्गत कवर होने वाले अ.पि.व. उम्मीदवारों को गैर-क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान की आय पर आधारित होना चाहिए।

**उदाहरण :** यदि अ.पि.व. श्रेणी का कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 है तो आरक्षण की सुविधा का दावे के समर्थन के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार के पास अ.पि.व. (गैर-क्रीमी लेयर) का प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में, दिनांक 30 मार्च 2021 का या इससे पहले का होना चाहिए और यह प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2019-2020, 2018-19 तथा 2017-18 की आय पर आधारित होना चाहिए।

**प्रश्न 16: अ.पि.व. प्रमाण पत्र को स्वीकार किए जाने की कट-ऑफ तारीख क्या है?**

**उत्तर :** प्रमाण पत्र किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले की तारीख या संबंधित परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना में यथानिर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार होना चाहिए। **उदाहरण :** यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31.03.2021 है, तो आरक्षण का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवार के पास निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित अ.पि.व. प्रमाण पत्र की तारीख **30.03.2021 या इससे पहले** की होनी चाहिए।

**प्रश्न 17: क्या अधिवास खंड/पैरा अ.पि.व. प्रमाण पत्र का हिस्सा होना चाहिए?**

**उत्तर :** यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे राज्य द्वारा जारी किया गया हो, जो उम्मीदवार के पिता के मूल निवास वाले राज्य से इतर हो तो ऐसे प्रमाण पत्र में अधिवास खंड/पैरा होना चाहिए।

**प्रश्न 18: उम्मीदवार से संबंधित व्यक्तिगत विवरण कैसे तय किया जाता है?**

**उत्तर :** अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार का नाम तथा उसके पिता का नाम वही होना चाहिए, जो मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र पर उल्लिखित है।

हालांकि, मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र पर यदि उम्मीदवार/पिता के नाम का उल्लेख नहीं है तो पिता का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे एचएससी प्रमाण पत्र, डिग्री, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दिए अनुसार होना चाहिए और उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में भी अपने पिता का यही नाम लिखना चाहिए।

**प्रश्न 19:** यदि किसी उम्मीदवार की अ.पि.व. जाति को उस राज्य की राज्य सरकार ने तो मान्यता प्रदान की है जहां से उसके पिता का संबंध है, परंतु भारत सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की है तो क्या ऐसा उम्मीदवार आरक्षण पाने का पात्र होगा?

**उत्तर :** जी, नहीं। यह आवश्यक है कि अ.पि.व. जाति को संबंधित राज्य की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया हो।

**प्रश्न 20:** अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में किन-किन बातों की जांच कर लेनी चाहिए?

**उत्तर :** किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अर्हता की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इन शर्तों से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) अ.पि.व. प्रमाण पत्र किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले की तारीख या संबंधित परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना में यथानिर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार होना चाहिए।

(ii) अ.पि.व. प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

(iii) अ.पि.व. प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।

(iv) अ.पि.व. प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर/मोहर/कार्यालय सील होनी चाहिए। हालांकि, डिजिटल प्रमाण पत्र के मामले में, यदि उक्त अनिवार्यता, अर्थात् फिजिकल हस्ताक्षर/मोहर/कार्यालय सील में से किसी अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में कोई उद्घोषणा की गई हो और इसका उल्लेख प्रमाण पत्र पर किया गया हो तो ऐसे मामलों में उद्घोषणा की सीमा तक छूट प्रदान की जाएगी।

(v) अधिवास खंड/पैरा भी अ.पि.व. प्रमाण पत्र का हिस्सा होना चाहिए, यदि लागू हो।

(vi) उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र, समतुल्य प्रमाण पत्र आदि के अनुसार होना चाहिए।

- (vii) अ.पि.व. प्रमाण पत्र पर जाति/जनजाति का नाम ठीक केन्द्रीय सूची के अनुसार होना चाहिए।
- (viii) अ.पि.व. प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार की जाति के संबंध में भारत सरकार का संगत संकल्प होना चाहिए।
- (ix) अ.पि.व. प्रमाण पत्र पर “सामान्य रूप से रहते हैं” से संबंधित पैरा होना चाहिए और यह सही प्रकार भरा हुआ होना चाहिए।
- (x) अ.पि.व. प्रमाण पत्र में गैर-क्रीमी लेयर खंड होना चाहिए।

**प्रश्न 21: किसी भी परीक्षा के किस चरण में उम्मीदवारों को अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा/प्रस्तुत करना होता है?**

**उत्तर :** उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपना अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा/प्रस्तुत नहीं करना होता है। हालांकि उन्हें इन प्रमाण पत्रों के विवरण का उल्लेख करना होता है। प्रधान परीक्षा (सिविल सेवा परीक्षा के मामले में) के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद उम्मीदवारों को अपने विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) के साथ अपने अ.पि.व. प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करना पड़ता है। व्यक्तित्व परीक्षण(साक्षात्कार) के लिए अर्हक हुए उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय अ.पि.व. प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखानी होती है।

**नोट :** उपर्युक्त ‘प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) के उत्तर, आयोग की परीक्षाओं के मौजूदा नियमों/ सरकार के संगत अनुदेशों के आधार पर तैयार किए गए हैं। अतः, इन परीक्षा नियमों/सरकार के अनुदेशों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन उत्तरों में भी परिवर्तन हो सकता है। उक्त परीक्षा नियमों/सरकार के संगत अनुदेशों तथा एफएक्यू में किसी भी कारण से किसी अंतर की स्थिति में परीक्षा नियम/सरकार के संगत अनुदेश मान्य होंगे।

\*\*\*\*\*